तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
18.2.20	वकुलाय उपस्थित। बहस वकुलाय सुनी गई वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 5.3.20 को पेश हो। SDO K
5.3.20	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। सायल अपना प्रार्थना-पत्र साबित करने में असफल रहा है। इस वजह से सायल का प्रार्थना पत्र साबित ना होने की वजह से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली पर जारी स्टे आदेश दिनांक 21.11.19 को वेकेट किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली कैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल वाद के साथ फैसल हो दाखिल दफ्तर हो। सुनाया। SDO K

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री अनिलकुमार सिंघल आर ए एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 2/206/19

बउनवान

1. अरूणसिंह पुत्र श्री जगदीश पोत्र नारायण जाति जाट निवासी रेला तहसील कठूमर जिला अलवर।

——— सायल

बनाम

1. जगदीश पुत्र नारायण जाति जाट निवासी रेला तहसील कठूमर
2. उप पंजीयक कठूमर तहसील कठूमर। ——— गैरसायलान

दर0 212 राजस्थान का तकारी अधिनियम

उपस्थित :

श्री रामजीलाल भार्मा एडवोकेट – वकील सायल

श्री देवेन्द्रसिंह नरूका एडवोकेट – वकील गैरसायल सं0 1

आदेश

दिनांक 05.03.2020

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 356/3 रकवा 0.31 हे. 389/4 रकवा 0.33 हे. ग्राम रेला तहसील कठूमर में स्थित है। उपरोक्त विवादित आराजी सायल के दादा नारायण की पैदा कर्दा आराजी होने से पैत्रिक आराजी है जिसमें सायल को बाई बर्थ हक वो अधिकार पैदा हो चुके है। विवादित आराजी सायल के दादा नारायण से ही गैरसायल सं0 1 जगदीश को विरासत में प्राप्त हुई है। कानूनन दादा की पैदा कर्दा आराजी में उसके पोत्र पोत्रियों को जन्म से ही यानि बाई बर्थ हक वो अधिकार प्राप्त हो जाते है। विवादित आराजी पैत्रिक होने से सायल का 1/4 हिस्सा बनता है। सायल ने गैरसायल सं0 1 से अपने हिस्से की आराजी अपने नाम कराने वावत कहा तो उसने साफ इन्कार कर दिया। हाल गलत राजस्व रेकार्ड के आधार पर गैरसायल सं0 1 सायल के विवादित आराजी के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करता है व रहन वय करने को अमादा है यदि गैरसायल अपने नापाक ईरादों में कामयाव हो गये तो सायल को अपार हानि व नुकशान होगा जिसकी पूर्ति किसी भी तरह संभव नहीं है। इस वजह से सायल ने गैरसायलान को ता फैसला दावा स्टे आदेश से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया है। जावे।

प्रार्थना पत्र सायलान दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलव किया गया। गैरसायल सं0 1 ने हाजिर अदालत होकर अपना जवाव प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि विवादित आराजी पैत्रिक आराजी नहीं है। सायल का विवादित आराजी में 1/4 हिस्सा नहीं है। सायल ने गैरसायल के अन्य वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया है। कानूनन पिता के जीवनकाल में उसके पुत्र

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned with CamScanner

पुत्रियों का हक हिस्सा व अधिकार नहीं बनता है। सायल का विवादित आराजी पर कोई कबजा का त नहीं है। सायल नाकाविज है। गैरसायल सं0 1 विवादित आराजी का खातेदार का तकार है जिसे विवादित आराजी को रहन वय करने का पूरा पूरा अधिकार है। सायल को किसी तरह का नुक ाान व क्षति नहीं होती है। प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है। जो खारिज किया जावे।

सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में छाया प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 वाके ग्राम रेला पेश की है।

वहस वकुलाय सुनी गयी। सायल को प्रार्थना पत्र अपने पक्ष में सफलता प्राप्त करने के लिये तीन विन्दुओं को अपने पक्ष में सावित करना है–

1.प्रथम दृश्टा केस

2.सुविधा का सन्तुलन

3.नापूर्ति होने वाली क्षति

विद्वान अधिवक्ता सायल ने अपनी वहस के दौरानल मुख्य रूप से अपने प्रार्थना पत्रों को दोहराते कथन किया कि विवादित आराजी गैरसायल सं0 1 को सायल के दादा नारायण से प्राप्त हुई है। इस वजह से विवादित आराजी पैत्रिक है जिसमें सायल को जन्म से ही हक वो अधिकार प्राप्त है। सायल का विवादित आराजी में 1/4 हिस्सा है। गैरसायल सं0 1 हाल राजस्व रेकार्ड के आधार पर विवादित आराजी को दीगर लोगों को रहन वय कर नाबालिग सायल को उसके हिस्से से महरूम करना चाहता है। यदि गैरसायल ने ऐसा कर दिया तो सायल को काफी नुक ाान व क्षति होगी। इस वजह से गैरसायलान को ता फैसला दावा स्टे आदेश से पाबन्द किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता गैरसायल ने अपनी वहस के दौरान अपने जवाव प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी पैत्रिक नहीं है सायल का विवादित आराजी में 1/4 हिस्सा नहीं है। सायल नाकाविज है। गैरसायल सं0 1 विवादित आराजी का खातेदार का तकार है जिसे विवादित आराजी को अपनी जरूरत के लिये रहन वय करने का पूरा पूरा अधिकार है। विवादित आराजी पैत्रिक हो इस तरह का सायल ने कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। अतः प्रार्थना पत्र सायल खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली के तथ्यों व प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की वहस पर मनन किया। सायल ने प्रार्थना पत्र अपने दादा नारायण की पैदा कर्दा होना बताकर पैत्रिक आराजी में 1/4 हिस्सा वावत बाई बर्थ हक वो अधिकार पैदा हो जाने का कथन करते हुये प्रार्थना पत्र पेश किया है। सायल ने अपने प्रार्थना पत्र को सावित करने के लिये छाया प्रति जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 पेश की है जिसमें विवादित आराजी का 1/4 हिस्सा गैरसायल सं0 1 जगदीश व भोश आराजी अन्य साझीदारान की खातेदारी में दर्ज है। विवादित आराजी सायल के दादा नारायण की पैदा कर्दा हो व गैरसायल सं0 1 जगदीश को दादा नारायण से विरासत में प्राप्त हुई हो। इस तथ्य को सावित करने का भार सायल पर था। विवादित आराजी पैत्रिक है या स्वअर्जित, विवादित

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned with CamScanner

आराजी में सायल के हक हिस्सा व अधिकार बनते है या नहीं ये तथ्य तो मूल वाद में मौखिक व दस्तावेज साक्ष्य से तय होगा। विवादित आराजी पैत्रिक हो इसे सावित करने के लिये सायल ने कोई प्रमाणित दस्तावेज पत्रावली पर पेश नहीं किया है। इससे विवादित आराजी नारायण की पैदा कर्दा आराजी यानि पैत्रिक आराजी प्रतीत नहीं होती है। प्रथम दृश्टा केस सुविधा का सन्तुलन एंव न पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में सावित ना होकर गैरसायल के पक्ष में सावित है। सायल अपना प्रार्थना पत्र सावित करने में असफल रहा है इस वजह से सायल का प्रार्थना पत्र सावित ना होने की वजह से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली पर जारी स्टे आदेश दिनांक 21.11.2019 को वैकेट किया जाता है। पत्रावली फेसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।

(अनिलकुमार सिंघल)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 05.03.2020 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिलकुमार सिंघल)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

Scanned with CamScanner